न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2026 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 76 / 2025	2025 / 261	12.05.2025	11.06.2026

1– यादमौहम्मद पुत्र छुटटू जाति मेव निवासी शेखपुर निवासी नौगवा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 72 / 2025 निर्णय दिनाक 16.04.2025

उपस्थित–

01. श्री हरीश कुमार — वकील अपीलान्ट उपस्थित
02. विभागीय प्रतिनिधी — रेस्पोडेन्ट उपस्थित

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 72 / 2025 निर्णय दिनांक 16.04.2025 जिसके द्वारा वाके ग्राम तितरका तहसील किशनगढबास सम्वत 2081 में आराजी खसरा 333 रकबा 1.19 है0 किस्म बंजड / चारागाह भूमि में से रकबा 1.00 है0 भूमि पर गैहूँ / जौ, खसरा 334 रकबा 0.34 है0 किस्म ढहरी चारागाह भूमि में से रकबा 0.34 है0 भूमि पर गैहूँ / जौ, खसरा 441 रकबा 1.29 है0 किस्म बंजड भूमि में से रकबा 1.29 है0 भूमि पर गैहूँ की फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण किये जाने / पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व मौके से बैदखली / पैलन्टी / तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया है कि ग्राम तितरका तहसील किशनगढबास की आराजी खसरा 333 रकबा 1.19 है0 किस्म बंजड / चारागाह भूमि में से रकबा 1.00 है0 भूमि पर गैहूँ / जौ, खसरा 334 रकबा 0.34 है0 किस्म ढहरी चारागाह भूमि में से रकबा 0.34 है0 भूमि पर गैहूँ / जौ, खसरा 441 रकबा 1.29 है0 किस्म बंजड भूमि में से रकबा 1.29 है0 भूमि पर गैहूँ की फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण किये जाने / पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व मौके से बैदखली / पैलन्टी / तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जबकि तहत अदालत द्वारा मौके की स्थिति का किसी भी प्रकार निरीक्षण नही किया गया है, और बेजा रूप से कयास के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा मानते हुऐ निर्णित पारित किया गया है। वास्तविकता यह है, कि अपीलान्ट ने आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली में ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नही किया है, जिससे यह ताईद किया हो कि अपीलान्ट ने आराजी पर कब्जा किया है। तहत अदालत ने मात्र कर्मचारियो की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा मानते हुऐ निर्णय पारित किया गया है, जिससे तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय सन्देह की द्वष्टि में आता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण किसी सरकारी भूमि पर नही किया गया है, तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का बोलनी द्वारा अतिक्रमी यादमौहम्मद पुत्र छुटटू जाति मेव निवासी शेखपुर निवासी नौगवा तहसील तिजारा के

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

विरूद्व दिनाक 12.12.2024 को अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश कर संम्वत 2081 में आराजी खसरा 333 रकबा 1.19 है0 किस्म बंजड/चारागाह भूमि में से रकबा 1.00 है0 भूमि पर गैहूँ/जौ, खसरा 334 रकबा 0.34 है0 किस्म ढहरी चारागाह भूमि में से रकबा 0.34 है0 भूमि पर गैहूँ/जौ, खसरा 441 रकबा 1.29 है0 किस्म बंजड भूमि में से रकबा 1.29 है0 भूमि पर गैहूँ की फसल काश्त किये जाने तथा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने बाबत पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। जारी नोटिस की विधिवत तामील होकर प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गयी अतिक्रमी बावजूद सूचना के तहत अदालत के समक्ष उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में मौके की रिपोर्ट तलब की गयी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनाक 20.04.2026 वाके ग्राम तितरका के आराजी खसरा न0 333/1.19, 334/0.34 किस्म ढहरी 2 चारागाह दर्ज रिकार्ड है, एंव आराजी खसरा न0 441/1.29 किस्म बंजड सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है पर अतिक्रमण नही होना पाया गया है, इससे स्पष्ट है, कि अतिक्रमी द्वारा सम्वत 2081 में वर्णित आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया, जिसके फलस्वरूप विधिवत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमी के विरूद्व विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास प्रकरण संख्या 72/2025 उनवान सरकार जर्ये पटवारी हल्का बोलनी बनाम यादमौहम्मद में पारित निर्णय दिनाक 16.04.2025 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा